कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2014-15 (वि व 15) के दौरान सेवा कर संग्रहण ₹ 1,67,969 करोड़ था और वि व 15 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 30.75 प्रतिशत था। जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में वि व 14 की तुलना में वि व 15 में कमी आई है जबकि सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में इसमें वृद्धि हुई है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व में पिछले चार वर्षों से प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुई है। हालांकि वि व 15 में इसमे थोड़ी कमी आई है।

इस प्रतिवदेन में ₹ 386.35 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सेवा कर पर 166 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां है। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 373.58 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था (जनवरीर 2016 तक) और ₹ 53.77 करोड़ की वसूली सूचित की थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

अध्याय I: सेवा कर प्रशासन

- बकाया की वसूली में सुधार करने के लिए विभाग द्वारा आरंभ किए गए उपायों का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ है। वि व 15 में बकाया संग्रहण वि व 14 में 10.46 प्रतिशत की तुलना में 1.17 प्रतिशत तक तेजी से कम हो गया है।

(पैराग्राफ 1.12)

- समीक्षा तथा सुधार के लिए एसीईएस द्वारा चिन्हित 86 प्रतिशत से अधिक विवरणियां सुधार कार्यवाही के लिए लंबित थीं।

(पैराग्राफ 1.14.1)

- ₹ 77,463 करोड़ से अधिक के सेवा कर निहितार्थ वाले अधिनिर्णय मामले 31 मार्च 2015 को अन्तिमीकरण को लंबित थे।

(पैराग्राफ 1.15)

- अधिनिर्णय आदेश के प्रति विभाग की अपील का सफलता अनुपात वि व 13 में 33.47 प्रतिशत से घटकर वि व 15 में 26.44 प्रतिशत हो गया है।

(पैराग्राफ 1.16)

- 46 प्रतिशत से अधिक की श्रेणी 'क' सेवा कर निर्धारिती, जोकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग द्वारा अनिवार्य लेखापरीक्षा हेतु देय थे, वि व 15 के दौरान अलेखापरीक्षित रह गए।

(पैराग्राफ 1.19)

अध्याय II: कारण बताओं नोटिस जारी करना और अधिनिर्णय प्रक्रिया

- ₹ 3.34 करोड़ के राजस्व वाली आठ मांगों को कारण बताओं नोटिस (एससीएन) विलंब से जारी करने के कारण समय बाधित के रूप में अधिनिर्णयन में समाप्त किया गया था।

(पैराग्राफ 2.5.1)

- 36 मामलों में, एससीएन निर्धारित समय अवधि में जारी नहीं किया गया था और इनमें से 23 मामलों, जिनके ब्यौरें उपलब्ध थे, ₹ 22.17 करोड़ का राजस्व निहितार्थ शामिल हैं।

(पैराग्राफ 2.5.2)

- ₹ 21.08 करोड़ के राजस्व वाले 46 मामले दो वर्षों से अधिक समय से न्यानिर्णयन हेतु लंबित थे।

(पैराग्राफ 2.6.1)

अध्याय III: नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

- लेखापरीक्षा में ₹ 216.34 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सेवा कर की गैर अदायगी/कम अदायगी, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना/उपयोग और विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान न करना के उदाहरण देखे गए।

(पैराग्राफ 3.1)

अध्याय IV: आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियां, कारण बताओं नोटिस देरी से जारी करना आदि देखे गए जिनमें ₹ 170.01 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहितार्थ था।

(पैराग्राफ 4.2)